

आदेश

दिनांक-10.11.2023 को आयोजित विभागीय अनुकंपा समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के निम्नलिखित नाबालिग आश्रितों को बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कारणों से लंबित/अस्वीकृत किया गया है :-

क्र० सं०	आश्रित का नाम / मृतक से संबंध	मृतक का नाम / पदनाम / पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	अभिषेक कुमार / पुत्र	स्व० अनिल सिंह / सिपाही / कटिहार	लंबित विहित प्रपत्र पर नियंत्रण पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।
2	तेजस्वी / पुत्र	स्व० अशोक कुमार / सिपाही-492 / बि०वि०स०पु०-05, पटना	लंबित 1. अनियोजन प्रमाण-पत्र में आवेदक की माँ के संबंध में उल्लेख नहीं है। 2. आवेदक का भरण-पोषण संबंधी घोषणा-पत्र संलग्न नहीं है।
3	सोनू कुमार / पुत्र	स्व० रामदुलार राय / सिपाही-1733 / रोहतास	लंबित विहित प्रपत्र पर नियंत्रण पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।
4	अहमद रजा अंसारी / पुत्र	स्व० सरफराज अंसारी / सिपाही-61 / सुपौल	लंबित अनियोजन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
5	दीपक कुमार / पुत्र	स्व० जय प्रकाश राम / सिपाही-607 / सीतामढ़ी	लंबित अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।
6	प्रियांशु कुमार / पुत्र	स्व० पंकज कुमार / सिपाही / निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना	लंबित विहित प्रपत्र पर नियंत्रण पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।
7.	साजिद प्रवेज / पुत्र	स्व० कलामुद्दीन अहमद / सिपाही-121 / सिवान	लंबित 1. विहित प्रपत्र पर नियंत्री पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।
8.	रिशु राज / पुत्र	स्व० राकेश कुमार राम / हवलदार / बाँका	लंबित 1. विहित प्रपत्र पर चिपके फोटो पर हस्ताक्षर एवं मुहरांकन नहीं है। 2. विहित प्रपत्र के खण्ड-II में नियंत्री पदाधिकारी / विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर, मुहर एवं उनकी अनुशंसा अंकित नहीं है। 3. अनियोजन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
9.	अमृत राज / पुत्र	स्व० अम्बिका राम / स०अ०नि० / अररिया	लंबित मृतक की दो पत्नियाँ हैं और मृतक के आश्रितों के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिये गये शपथ पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है।

10.	सत्यम कुमार/पुत्र	स्व० सुनील कुमार/ स०अ०नि०/प० चम्पारण, बेतिया	लंबित विहित प्रपत्र पर नियंत्रण पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।
11.	आशुतोष कुमार/ पुत्र	स्व० विध्यांचल सिंह/ हवलदार/वैशाली	लंबित 1. आवेदक के दो बहन क्रमशः अंशु कुमारी एवं आरूषी कुमारी तथा भाई शिवानशु कुमार का अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। 2. जिला अनुकंपा समिति के वृत्त में मृतक एवं उनके आश्रित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। 3. सभी प्रमाण-पत्र छायाप्रति हैं जो अभिप्रमाणित नहीं हैं। 4. दहेज संबंधी घोषणा-पत्र संलग्न नहीं है।
12.	शुभम आदित्य/ पुत्र	स्व० संजय कुमार/ पु०अ०नि०/अपराध अनुसंधान विभाग	लंबित 1. विहित प्रपत्र के खंड-II में नियंत्री पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का मुहर नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।
13.	कृष्ण बल्लव/पुत्र	स्व० संजीव कुमार/ स०अ०नि०/भोजपुर	लंबित अनुकम्पा समिति का वृत्त नहीं है।
14.	अनमोल राज/पुत्र	स्व० मोहन दास/चालक हवलदार-68/पटना	अस्वीकृत (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-11715, दिनांक-13.07.2022 के अनुसार)

प्रस्ताव में पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्र संख्या:-पी०-4/43-38-32-2021/.....429

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 27.12.2023

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, कटिहार/सुपौल/सीतामढ़ी/सीवान/बांका/अररिया/प० चम्पारण (बेतिया)/वैशाली/भोजपुर/(सी०), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदकों के प्रस्ताव से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- अस्वीकृत किये गये आवेदक अनमोल राज का सभी कागजात मूल रूप में संबंधित कार्यालय को वापस किया जा रहा है।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।